क्रमांक 62/9/94-6 जी0 एस0-I

प्रेषक

मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार ।

सेवा में

1. सभी विभागाध्यक्ष, आयुक्त, अम्बाला, हिसार, रोहतक एवं गुड़गांवा मण्डल ।
2. सभी उपायुक्त एवं उपमण्डल अधिकारी (नागरिक) ।
3. रजिस्ट्रार, पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय, चण्डीगढ़ ।

दिनांक चण्डीगढ़ 16-6-1994

विषय :--भारत निर्वाचन आयोग के आदेश दिनांक 20-1-1994 को अनुपालन करने बारे ।

महोदय,

मुझे निर्देश हुआ है कि मैं आपको भारत निर्वाचन आयोग के आदेश दिनांक 20-1-1994 की प्रति भेजते हुए यह अनुरोध करूं कि निर्वाचन आयोग के इन आदेशों की कड़ाई से पालना की जाये । आपके अधीन सभी अधिकारियों/कर्मचारियों के ध्यान में भी इन निर्देशों की अनुपालना हेतु ला दिया जाए ।

भवदीय,

हस्ता/-

अवर सचिव सामान्य प्रशासन-I,

कृते: मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार ।

एक प्रति अनुलग्नक की प्रति सहित सभी वित्तायुक्त/आयुक्त एवं प्रशासकीय सचिवों को सूचनार्थ तथा आवश्यक कार्यवाही के लिये प्रेषित है । उनसे अनुरोध है कि इन अनुदेशों की दृढ़ता से पालना की जाए ।

हस्ता/-

अवर सचिव सामान्य प्रशासन-I,

कृते: मुख्य सचिव,हरियाणा सरकार ।

सेवा में

सभी वित्तायुक्त/आयुक्त एवं प्रशासकीय सचिव, हरियाणा सरकार ।

अशा0 क्रमांक 62/9/94-6 जी0 एस0-I दिनांक 16-6-1994

एक प्रति अनुलग्नक की प्रति सहित प्रधान सचिव/निजी सचिव/मुख्य मन्त्री/मंत्री/संसदीय सचिव को इस अनुरोध के साथ भेजी जाती है कि भारत निर्वाचन आयोग द्वारा दिए गए अनुदेश दृढ़ता से अनुपालना हेतु सभी सम्बन्धित के ध्यान में ला दिए जाये ।

हस्ता/-

अवर सचिव सामान्य प्रशासन-I,

कृते: मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार ।

सेवा में

प्रधान सचिव/सचिव/निजी सचिव/मुख्य मंत्री/संसदीय सचिव ।

अशा0 क्रमांक 62/9/94-6 जी0 एस0-I दिनांक 16-6-1994

एक प्रति वित्तायुक्त एवं सचिव, हरियाणा सरकार, निर्वाचन विभाग को उनके अशाक क्रमांक 4/11/94-निर्वाचन, दिनांक 28-4-94 के सन्दर्भ में सूचनार्थ भेजी जाती है ।

हस्ता/-

अवर सचिव सामान्य प्रशासन-I,

कृते: मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार ।

सेवा में

आयुक्त एवं सचिव, हरियाणा सरकार, निर्वाचन विभाग ।

भारत निर्वाचन आयोग

निर्वाचन सदन
अशोक रोड़,
नई दिल्ली-110001
तारीख : 20 जनवरी, 1994

आदेश

लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 129 के अनुसार :—

(1) जो कोई जिला निर्वाचन आफिसर या रिटर्निंग आफिसर या सहायक रिटर्निंग आफिसर है या निर्वाचन में पीठासीन या मतदान आफिसर है या ऐसा आफिसर है या लिपिक है, जिसे रिटर्निंग आफिसर या पीठासीन आफिसर ने निर्वाचन से संसक्त किसी कर्तव्य के पालन के लिए नियुक्त किया है वह निर्वाचन के संचालन या प्रबन्ध में (मत देने से भिन्न) कोई कार्य अभ्यर्थी के निर्वाचन की सम्भाव्यताओं को अग्रसर करने के लिए न करेगा ।

(2) यथापूर्वोक्त कोई भी व्यक्ति और पुलिस बल का कोई भी सदस्य :—

(क) न तो किसी व्यक्ति को निर्वाचन में अपना मत देने के लिए मनाने का, और न

(ख) किसी व्यक्ति को निर्वाचन में अपना मत न देने के लिए मनाने का, और न

(ग) निर्वाचन में किसी व्यक्ति के मत देने में किसी रीति के असर डालने का, प्रयास करेगा ।

(3) जो कोई व्यक्ति उपधारा (1) या उपधारा (2) के उपबन्धों का उल्लंघन करेगा, वह कारावास से, जो छह मास तक का हो सकेगा, या जुर्माने से, या दोनों से, दण्डनीय होगा ।

(4) उपधारा (3) के अधीन दण्डनीय अपराध संज्ञेय होगा ।

2. लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 134 आदेश देती है :—

"निर्वाचनों से संसक्त पदीय कर्त्तव्य के भंग—

(1) यदि कोई व्यक्ति, जिसे यह धारा लागू है, अपने पदीय कर्त्तव्य के भंग में किसी कार्य या लोप का युक्तियुक्त हेतुक के बिना दोषी होगा तो वह जुर्माने से, जो पांच सौ रुपये तक हो सकेगा, दण्डनीय होगा ।

(क) उपधारा (1) के अधीन दण्डनीय अपराध संज्ञेय होगा ।

(2) यथापूर्वोक्त किसी कार्य या लोप की बाबत नुकसानी के लिए कोई वाद या अन्य विधिक कार्यवाही ऐसे किसी व्यक्ति के खिलाफ न होगी ।

(3) वे व्यक्ति, जिन्हें यह धारा लागू है, जिला निर्वाचन आफिसर, रिटर्निंग आफिसर, सहायक रिटर्निंग आफिसर पीठासीन आफिसर, मतदान आफिसर और अभ्यर्थियों के नाम निर्देशन प्राप्त करने या अभ्यर्थिताएं वापस लेने या निर्वाचन में मतों का अभिलेख करने या गणना करने से संसक्त किसी कर्त्तव्य के पालन के लिए नियुक्त कोई अन्य व्यक्ति, तथा "पदीय कर्त्तव्य" पदावली का अर्थ इस धारा के प्रयोजनों के लिए तदनुसार लगाया जाएगा किन्तु इसके अन्तर्गत वे कर्त्तव्य न होंगे जो इस अधिनियम के द्वारा या अधीन अधिरोपित होने से अन्यथा अधिरोपित हैं"

3. लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 134 क के अनुसार :—निर्वाचन अभिकर्ता, मतदान अभिकर्ता या गणन अभिकर्ता के रूप में कार्य करने वाले सरकारी सेवकों के लिए शासित—यदि सरकार की सेवा में का कोई व्यक्ति किसी निर्वाचन में अभ्यर्थी के निर्वाचन अभिकर्ता या मतदान अभिकर्ता या गणन अभिकर्ता के रूप में कार्य करेगा तो वह कारावास से, जिसकी अवधि तीन मास तक की हो सकेगी या जुर्माने से, या दोनों से दण्डनीय होगा ।

4. उपरोक्त विधिक उपबन्धों का, जैसा कि स्पष्ट है, मूल उद्देश्य यह है कि सभी सरकारी कर्मचारी कड़ी निष्पक्षता की अवस्था रखेंगे । वे न केवल निष्पक्ष हों बल्कि निर्वाचनों के सम्बन्ध में भी ऐसा हो जान पड़ । उनसे

करें ताकि लोगों को यह सोचने के लिए कोई अवसर न हो कि निर्वाचन स्वतन्त्र, निष्पक्ष और शुद्ध वातावरण में नहीं हुए होंगे। उन्हें किसी ऐसे संदेह के लिए, कि वे किसी दल या किसी अभ्यर्थी का पक्ष ले रहे हैं, का कारण नहीं होना चाहिए। उनसे यह उम्मीद नहीं की जाती कि व किसी निर्वाचन अभियान या प्रचार करने में भाग लें और किसी दूसरे के विरुद्ध किसी एक या एक ग्रुप के विरुद्ध दूसरे को सहायता करने के लिए अपने नाम, सरकार स्थिति या प्राधिकारी को सहायता न देने के लिए ईमानदारी से सावधानी लें।

5. सरकारी कर्मचारियों की विभिन्न श्रेणियों के लिए लागू सेवा आचरण नियम भी सरकारी कर्मचारियों को राजनीति और निर्वाचनों में भाग लेने से रोकता है।

6. तदनुसार, निर्वाचन आयोग ने, निर्वाचनों के दौरान सरकारी कर्मचारियों के आचरण के लिए विस्तृत मार्गदर्शी सिद्धांत जारी किए हैं। यह "निर्वाचनों के संचालन के बारे में भारत निर्वाचन आयोग के समेकित अनुदेश--1993" नामित पुस्तिका में मद 27(क) और 27(ख) में समुद्धित किया गया है।

7. पिछले कुछ दिनों से आयोग ने यह पाया है कि कुछ दलों, विशेषतः केन्द्रीय और राज्यीय स्तर में सत्तारूढ़ की यह प्रवृत्ति है कि वे वित्तीय और प्रशासनिक औचित्य की पूर्ण अवहेलना में केवल उनका समर्थन प्राप्त करने के प्रयोजन से सरकारी कर्मचारियों को संगठित ग्रुप के रूप में तुष्टीकरण करते हैं। पदाधिकारियों को, जो सांविधिक और अन्य निर्वाचन संबंधी ड्यूटी करते हैं, कि सहानुभूति जीतने के लिए बड़े पैमाने पर पदोन्नति, वेतनवृद्धियां प्रदान करके, सेवानियमों में परिवर्तन करके लाभ आदि प्रदान करके, के रूप में विभिन्न प्रकार की रियायतों को मतदान से पहले के उपहार के रूप में घोषित किया जाता है। अधिकतर निर्वाचन होने के पहले की अवधि के दौरान, सरकारी कर्मचारियों द्वारा की गई न्यायोचित मांगों को भी सरकार द्वारा जानबूझ कर लम्बित रखा जाता है ताकि निर्वाचनों के समय सरकार द्वारा अनुकूल घोषणाएं की जा सकें।

8. आयोग यह कहने के लिए विवश है कि ऐसी रियायतें न केवल सांविधिक और अन्य निर्वाचन संबंधी कार्य करने वाले पदाधिकारियों को सत्ताधारी दल के पक्ष में निर्णय के लिए दुष्प्रेरित करती हैं बल्कि निर्वाचनों के समय पर सरकारी कर्मचारियों को अनुचित मांगें रखने की प्रवृत्ति को भी बढ़ावा देती है। इससे निर्वाचनों के समय उत्तरदायी, वस्तुनिष्ठ और स्वतन्त्र प्रतिक्रिया पाने के बजाए निर्वाचन मशीनरी में ट्रेड यूनियन गतिविधियों के निर्माण और पालन पोषण को भी बढ़ावा मिलता है।

9. निर्वाचनों के दौरान एक पूर्ण अराजनैतिक सिविल सेवा और सभी स्तरों पर निर्वाचन तंत्र की फील्ड स्तर के कार्यकर्ताओं की निष्पक्षता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से और सरकारी कर्मचारियों को अपनी निर्वाचन ड्यूटी निष्पक्ष रूप से करने के लिए विधि के उपबन्धों की अनिवार्य प्रकृति को पुष्ट करने के लिए, संविधान के अनुच्छेद 324 द्वारा इसमें निहित पूर्ण शक्तियों और इस संबंध में इसे समर्थ बनाने वाली अन्य सभी शक्तियों का प्रयोग करते हुए, निर्वाचन आयोग एतद्द्वारा यह निदेश देता है कि कोई सरकार, चाहे वे केन्द्र में हो या किसी राज्य या संघराज्य क्षेत्र में हो निर्वाचनों की घोषणा की तारीख से निर्वाचनों की समाप्ति तक, केन्द्र या राज्य सरकारों या केन्द्र और राज्य सरकारों के अधीन सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों के कर्मचारियों के लिए, किसी लाभ की घोषणा नहीं करेगी सभी ऐसी रियायतों आदि को निर्वाचन प्रक्रिया की समाप्ति के पश्चात तक आस्थगित कर दिया जायेगा।

10. यह निदेश न केवल सरकारी कर्मचारियों पर लागू होगा, बल्कि सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों, जीवन बीमा निगम, राष्ट्रीयकृत बैंकों और स्थानीय निकायों, केन्द्र और राज्य स्तरों दोनों पर स्वायत्त निकायों, जिनके वेतन पूरी तरह से या आंशिक रूप से सरकारी राजकोष से आहरित होते हैं, के कर्मचारियों पर भी लागू होगा।

11. इन निदेशों के किसी उल्लंघन से मतदान/निर्वाचन को रद्द करने को सम्मिलित करते हुए गंभीर परिणाम होंगे।

12. इस आदेश की प्राप्ति की पावती तत्काल भेज दी जाये।

भारत निर्वाचन आयोग के आदेश
से और नाम में
हस्ता/0
(के0पी0जी0 कुट्टी)
सचिव

1. सभी राज्यों और संघराज्य-क्षेत्रों के मुख्य सचिव।
2. सभी राज्यों और संघराज्य-क्षेत्रों के मुख्य निर्वाचन अधिकारी।